का॰ज्ञा॰ सं॰ 12011/1/2000-रा॰भा॰ (का-2), दिनांक 14.2.2002

विषय:— हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार: वर्ष 1999-2000

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30 जुलाई, 1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/2/85-रा॰भा॰ (क-2) के तहत हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना परिचालित की गई थी।

2. इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

3. पात्रता:

(1) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए उन्हीं पुस्तकों को स्वीकार किया जाएगा जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हो।

(2) अनुदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं।

(3) पुस्तक 01 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 के दौरान लिखी अथवा प्रकाशित की गई हो।

(4) पुस्तक के लेखक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण एवं स्वामित्व में आने वाली स्वायत्त संस्थाओं विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी हो। इस संबंध में पुस्तक के लेखक द्वारा अनुलग्नक 'ख' पर दिये गये प्रोफार्मा में एक प्रमाणपत्र दिया जाना अपेक्षित है। लेखक प्रविष्टियों के संदर्भ में आश्वस्त हो लें कि वे योजना में भाग लेने के उपयुक्त पात्र हैं।

(5) पुस्तक की विषयवस्तु केन्द्रीय सरकार के उक्त संगठनों/संस्थानों में हो रहे कार्यों से संबंधित हो।

(6) पुस्तक किसी शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थान के पाठयक्रम में शामिल न हो।

(7) लेखक इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि यह पुस्तक उनकी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट 1957 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइटस का उल्लंघन नहीं करती है।

4. इस योजना के लिए अधिकतम चार प्रविष्टियाँ अनुलग्नक 'ग' पर दिए गए प्रोफार्मे में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संस्थान/संगठन के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ इस विभाग को भेजी जाएं। प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार-चार प्रतियाँ अवश्य भेजी जाएं। सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी अपनी पुस्तकें सीधे राजभाषा विभाग को या सेवानिवृति से पूर्व वे जिस संगठन में कार्यरत रहे उस विभाग/कार्यालय/संगठन के अध्यक्ष के माध्यम से भिजवा सकते हैं।

5. योजना के अंतर्गत प्रेषित सभी पुस्तकों पर विशेषज्ञ की राय अनुलग्नक 'क' पर दिए गए प्रोफार्म में राजभाषा विभाग को भिजवाई जाए। विशेषज्ञों को पुस्तक की विषयवस्तु से संबंधित शब्दावली तथा हिन्दी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। विशेषज्ञ कोई गैर सरकारी व्यक्ति जैसे सेवानिवृत अधिकारी या विश्वविद्यालयों/इंजीनियरिंग संस्थानों में कार्यरत प्रोफेसर आदि हो सकते हैं। पुस्तकों के मूल्यांकन से संबंधित मानदेय का दावा, यदि कोई हो, राजभाषा विभाग को न भेजकर संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के प्रशासनिक प्रधान के पास भेजा जाए।

6. इस योजना के अन्तर्गत तीन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:—

(1) प्रथम पुरस्कार	–	रु॰ 20,000/-
(2) द्वितीय पुरस्कार	–	रु॰ 16,000/-
(3) तृतीय पुरस्कार	–	रु॰ 10,000/-

पुरस्कारों का निर्णय एक निर्णायक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दो गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल किए जाते है।

7. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने की उपर्युक्त योजना को अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थानों में परिचालित कर दें। योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें न तो वापिस की जाएगी और न ही उनके संबंध में किसी अंतरिम पूछताछ का उत्तर दिया जाएगा।

8. प्रविष्टियों के इस विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30 जून, 2000 रखी गई है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक ''क''

विशेषज्ञों के लिए निर्देश

1. पुस्तकों के संदर्भ में विशेषज्ञों की राय पूर्णतया गोपनीय होगी। विशेषज्ञ कृपया अपना संस्तुति पत्र मोहरबंद लिफाफे में ही भेजें।

2. कृपया लिफाफे की बाई ओर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित करें:—

(i) ''इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार-संस्तुति पत्र''

(ii) लिफाफा पुस्तक मूल्यांकन समिति बैठक में ही खोला जाए, इसे पूर्व नहीं।

(iii) पुस्तक का नाम

(iv) विशेषज्ञ का नाम

3. विशेषज्ञ कृपया पुस्तक के संदर्भ में संलग्न संस्तुति पत्र में उद्धृत बिन्दुओं पर अपनी राय अवश्य दें। यदि जांच के अन्य मानक बिन्दुओं का समावेश करना चाहें तो अलग-से कर लें, परन्तु नियम बिन्दुओं पर अपनी निष्पक्ष राय अवश्य दें।

4. सेवारत अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के मामले में ''संस्तुति पत्र'' का लिफाफा संबंधित कार्यालय/विभाग, संगठनों के प्रशासनिक प्रधान के माध्यम से ''राजभाषा विभाग'' को भेजा जाए तथा सेवानिवृत अधिकारियों आदि के संबंध में यह सीधें राजभाषा विभाग को भेजा जाए।

पुस्तक का संस्तुति संबंधी प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम

2. लेखक/सम्पादक का नाम

3. क्या पुस्तक की विषय-वस्तु पर हिन्दी में यह पहली रचना है?

4. क्या पुस्तक में प्रयुक्त तथ्य शुद्ध तथा अद्यतन है?

5. क्या विषयवस्तु में मौलिक का निर्वाह हुआ है?

6. क्या लेखक की कृति अद्यतन चेतना तथा भविष्यगामी परिकल्पना युक्त है?

7. क्या पुस्तक सामान्य पाठक के लिए रोचक तथा उपयोगी है?

8. कोई अन्य उल्लेखनीय विचार:—

9. समेकित रूप में विवेच्य पुस्तक किस श्रेणी में रखी जा सकती है:—

''क'' - 85% से ऊपर

''ख'' - 60% से 85% तक

''ग'' - 60% से कम

विशेषज्ञ के हस्ताक्षर :

नाम व पूरा डाक पता :

दूरभाष:

हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना वर्ष 1999-2000

1. (क) लेखक का नाम

(ख) पदनाम या पूर्व पदनाम

(ग) कार्यालय या पूर्व कार्यालय का नाम

(घ) मंत्रालय/विभाग का नाम

(ङ) लेखक का डाक का पूरा पता (पिनकोड सहित) दूरभाष नं० (एस०टी०कोड सहित)/फैक्स

2. पुस्तक का नाम

3. पुस्तक का विषय

4. प्रकाशक का नाम व पता

5. प्रकाशन का वर्ष

6. पुस्तक लिखने का कार्य सम्पन्न करने की तिथि (माह-वर्ष)

7. मैं.....पुत्र/पुत्री श्री .....जोकि 01 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 के दौरान केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले .....(कार्यालय का नाम) में कार्यरत रहा/रही *या(सेवा निवृत्त व्यक्तियों के संबंध में)..... तिथि को..... ....(पदनाम) के पद से .....(कार्यालय का नाम) सेवानिवृत्त हुआ हूं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि:—

(1) उक्त पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और कापीराईट एक्ट 1957 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराईटस का उल्लंघन नहीं करती है।

(2) उक्त पुस्तक.....के बीच में लिखी गई/प्रकाशित हुई है।

(3) मेरी उक्त पुस्तक के विषय का सम्बन्ध मेरे द्वारा किए जा रहे/किए गए कार्य से है।

दिनांक लेखक का हस्ताक्षर

*नोट : जो लागू न हो काट दें।

अनुलग्नक "ग"

मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति

लेखक द्वारा दिए गए उपर्यक्त तथ्यों तथा सम्बद्ध रिकार्ड के आधार पर उपर्युक्त कृति को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार वर्ष 1999-2000 के विचार हेतु योग्य पाया गया है, एतदर्थ संस्तुति की जाती है।

2. इस विभाग/कार्यालय द्वारा अब तक वर्ष 1999-2000 के पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई यह पहली/दूसरी/तीसरी/चौथी पुस्तक है।

3. इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंन्तर्गत हिन्दी में मौलिक पुस्तक-लेखन के पुरस्कार के लिए पूर्व में उक्त पुस्तक की सिफारिश नहीं की गई है।

अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हस्ताक्षर:

अध्यक्ष का नाम,----------

पदनाम----------

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संस्थान:--------

दूरभाष/फैक्स----------